हुक्म

01/7/24

पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप. मुताबिक
फर्द आदेश "डिक्री-अ" वादी का वाद को
स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार मुताबिक
"डिक्री-अ" के अनुसार वादी, प्रतिवादीगण,
व प्रतिवादीगण के हित में वादी के हिस्से का
राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।
[illegible] की स्थिति में उपखण्ड की [illegible]
वादी एक प्रति [illegible] तहसीलदार
को अमल पश्चात डिक्री जारी हो। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर पत्रावली
जिला रिकॉर्ड रूम में भेजी जावे।

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वाद सं
114/
1.
1.
2
3
4

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
114 / 2020	21.10.2020	02.07.2025

बउनवान

1. धारा सिंह पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र चन्दगी जाति जाट निवासी पतलिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. प्रबंधक कैनरा बैक शाखा बहरोड तह0 बहरोड जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

5. सुबेसिंह पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. शुभराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. दयाचन्द पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा तकासमा मय हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 53, 188

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री शोभाराम चौधरी एडवोकट व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में** इस वाद में **आज दिनांक 02.07.2025** को **सुरेश कुमार बलाई सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–**

वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा राज0 में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 636 रकबा 0.20, 637 रकबा 0.20 है0 अनुसार वादी, प्रतिवादीगण, तरतीबी प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल, तरमीम करावे।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

22/8/25

आदेश उक्त के अनुसार [illegible] [illegible] के स्थान पर सोडावास पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा।

22/08/25

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	प्राथमिक पर्चा डिक्री दिनांक
114 / 2020	21.10.2020	15.04.2025

उनवान

धारा सिंह पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोडावास तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र चन्दगी जाति जाट निवासी पतलिया तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. प्रबंधक कैनरा बैंक शाखा बहरोड तह0 बहरोड जिला अलवर राज0।

:– प्रतिवादीगण

5. सुबेसिंह पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. शुभराम पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. दयाचन्द पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

दावा 53, 188 राज0 कास्त0 अधि0

–: प्रारम्भिक पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री शोभाराम चौधरी एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 15.04.2025** को श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री दी जाती हैः–

'' न्यायालय दावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सोडावास तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित भूमि हाल खं0नं0 636 रकबा 0.20 है0 637 रकबा 0.20 है0 में वादी व प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर लगाान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो सम्बंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को दृष्टिगत् रखते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी **15.05.2025** से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये।

यह प्राथमिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

मुण्डावर

01/9/25

पत्रावली पेश। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] पत्रावली [illegible]

[illegible] पत्रावली [illegible]

[illegible]

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खेरथल-तिजारा)